

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 23 / वाद संख्या सी-0057/एस-11/2026

दिनांक: 4/4/2025

सेवा में,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री राकेश बंसल, लक्ष्मीपुर, निकट आईटीडीडीआर0 हाईवे, प्रेमनगर, देहरादून द्वारा स्थल पर स्थल पर लगभग 75 गुणा 35 फीट के क्षेत्रफल में प्राधिकरण से बिना स्वीकृत मानचित्र के 06 दुकानों का व्यवसायिक कार्य हेतु निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं0 सी-0057/एस-11/2026 योजित किया गया। उक्त समस्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 08/04/26 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र सं0 1205/विविध-जे0ए0/2024 दिनांक -07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग हेतु नामित किया गया है अतः उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

2. थानाध्यक्ष प्रेमनगर, को पर्याप्त पुलिस बल(महिला पुलिस बल) उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

3.सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत/स्वीकृति से भिन्न निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को दो वाहन एवं सीलिंग से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।